

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी- राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का कालेडा

अप्रार्थी- श्री सुरजाराज जी मंगुराज शर्मा निवासी कालेडा अन्तर्गत
धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 131/19

निर्णय दिनांक- 18.7.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडा
ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2025 में
सरहद कालेडा के खसरा नम्बर 272 में किस्म 103. 24. 21
में रकबा 102 भू में पक्का निहाल कर अतिक्रमण किया है
जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को
वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक
को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा कालेडा के खसरा नम्बर 272
किस्म 103. 24. 21 में रकबा 102 की भूमि पर अतिक्रमण किया
जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हैक्टैयर
की दर से अतिक्रमित रकबा 102 भूमि के 12 रुपये लगान का 50
गुणा 6 /- अक्षरे बुद्ध 2-50 रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता
है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली
हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक
रूप से बेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांक- 18.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा
उप तहसीलदार पीलवा